"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 अप्रैल 2015— वैशाख 3, शक 1937

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

अधिसूचना

क्रमांक- एफ 4-12 /2014/56/इ.सू.प्रौ. . — छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा, 1 नवम्बर, 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचित की गई है. इस नीति की कंडिका 10 के प्रावधान अनुसार नीति के क्रियान्वयन हेतु चिप्स नोडल एजेंसी है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नोडल एजेंसी के दायित्व इस प्रकार होंगे-

1. निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त करने, स्वीकृति प्रदान करने तथा इस संबंध में अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना करना, ताकि निवेशकों एवं राज्य शासन के मध्य एकल संपर्क रहे.
2. नीति के अंतर्गत सेवा उद्योगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारुपों में प्रतिवेदनों/रिटर्नों की प्रस्तुति को सुगम बनाना.
3. प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. इकाईयों में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. इकाईयों (MSME) को उपलब्धता अनुसार लीज पर भवन उपलब्ध कराना.
5. निवेशकों के साथ एमओयू का निष्पादन करना.
6. आवश्यकतानुसार नीति के क्रियान्वयन हेतु अन्य कार्यवाही.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी . आनंद बाबू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इसूप्रौ, दिनांक 17-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी . आनंद बाबू, सचिव.

Raipur, the 17th April 2015

NOTIFICATION

No. F 4-12/2014/56/EIT .— As per department notification number F 14-12/2015/56/EIT dated 25 February 2015 Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019, has been notified. In accordance with clause 10 of above Policy CH*i*PS will act as nodal agency and Chief Executive Officer, CH*i*PS is appointed as Nodal Office for the implementation of this policy.

The functions of nodal agency will be as below-

1. Establish an Online portal as a single point of contact between investor and the state for receiving investment proposals and as out let for letters of sanction and approval along with a monitoring mechanism.

2. Facilitate smooth submission of reports/ returns in electronic formats for industries under the policy.

3. Ensure skilled manpower for the Electronics, I.T. & I.T.e.S. units in association with training and skill development institutions.

4. Allot built up space, if any, on lease to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) of Electronics, IT & ITeS units.

5. Enter into appropriate MoU with investors.

6. Will take other appropriate steps for effective implementation of the policy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

अधिसूचना

क्रमांक- एफ 4-12 /2014/56/इ.सू.प्रौ. . — यत: छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा, 1 नवम्बर, 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचित की गई है.

1. अतएव, उक्त नीति के खण्ड 9 के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस नीति के अन्तर्गत राज्य में इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु तथा नीति क्रियान्वयन की समीक्षा, आवश्यक स्वीकृतियां तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्विभागीय समन्वय एवं मार्गदर्शन करने हेतु सशक्त समिति (ई.सी.) गठित करती है. इस समिति का स्वरुप निम्नानुसार है-

(1)	मुख्य सचिव-	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग-	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग-	सदस्य
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण-	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी-	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व-	सदस्य
(7)	संचालक, वाणिज्य एवं उद्योग-	सदस्य
(8)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण-	सदस्य
(9)	उपाध्यक्ष, चिप्स-	सदस्य
(10)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स-	सदस्य सचिव

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा. सशक्त समिति द्वारा इस नीति के संबंध में लिये गये निर्णय अंतिम होंगे तथा सभी संबंधित पक्षकार जिनमें निवेशक भी सम्मिलित हैं, पर बन्धनकारक होंगे.

2. **सशक्त समिति के दायित्व-**

2.1 इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में कार्ययोजना का अनुमोदन, नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी तथा समय-समय पर समीक्षा करना.

2.2 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अभिकरणों द्वारा अधिसूचना एवं मार्गदर्शन इत्यादि समय पर जारी कराना तथा तत्संबंधी समीक्षा करना.

2.3 सिंगल विंडो प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदाय, स्वीकृति प्रदान करना तथा प्रणाली की समीक्षा करना.

2.4 विभिन्न प्रोत्साहन देने हेतु प्रक्रिया एवं शर्त आदि का मार्गदर्शन एवं अनुमोदन करने के तथा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा निवेशक को समय पर प्रोत्साहन प्रदान करने एवं भू-आवंटन करने की समीक्षा करना.

2.5 नीति अवधि के दौरान रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदाय करने के संबंध में अनुशंसा करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी . आनंद बाबू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इसूप्रौ, दिनांक 17-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी . आनंद बाबू, सचिव.

Raipur, the 17th April 2015

NOTIFICATION

No. F 4-12/2014/56/EIT .—Whereas, Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19, has been notified by this department notification number F 14-12/2015/56/EIT dated 25 February 2015 have effect 1st November, 2015 to dated 31 October 2015.

1. Now, therefore, the State Government hereby, in accordance with clause 9 of above Policy, constitutes an Empowered Committee (EC) for necessary sanctions, guidance, inter departmental coordination, monitoring the implementation of policy and to encourage establishment of units in the state. The committee consists of the following members -

(1)	Chief Secretary	Chairman
(2)	ACS/Principal Secretary/Secretary, Finance Department	Member
(3)	ACS/Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries	Member
(4)	ACS/Principal Secretary/Secretary, Housing and Environment	Member
(5)	Principal Secretary/Secretary, Electronics and Information Technology	Member
(6)	Principal Secretary/Secretary, Revenue	Member
(7)	Director, Commerce and Industries	Member
(8)	Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority	Member
(9)	Vice Chairman, CHiPS	Member
(10)	Chief Executive Officer, CHiPS	Member Secretary

The Empowered Committee may invite any other representatives as per requirement. All decisions of EC regarding this policy shall be final and shall be binding on all the concerned parties including investors in the state.

2. Functions of Empowered Committee -

2.1 To approve the action plan for the implementation of policy, monitor implementation of policy and its periodic review.

2.2 To ensure that concerned state government departments/organizations issues necessary guidelines, notifications, etc. within stipulated time and its review.

2.3 To provide guidance and approval for operation of single window system and its review.

2.4 To provide guidance and approval for various procedures, terms and conditions for release of incentives, sanction under the policy by the various departments and organizations and review of timely flow of incentives to the investors including land allotment for the effective implementation of the policy.

2.5 To recommend additional incentives/concessions for large investments is excess of Rs. 100 crores during policy period.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.